

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025, विभागीय अधिसूचना सं0-156(8)/रा0, दिनांक-25.04.2025 द्वारा अधिसूचित है, जिसका गजट सं0-354, दिनांक-30.04.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को गजट की प्रति के साथ
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के आप्त सचिव को गजट
की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे(नियमावली)-20/2024- 184 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-16/5/25
प्रतिलिपि:-आई0टी0/मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को गजट की
प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर गजट की प्रति आज ही
अपलोड करेंगे।

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख 1947 (श0)

(सं0 पटना 354) पटना, बुधवार, 30 अप्रैल 2025

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

25 अप्रैल 2025

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2025

सं० 3/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)-20/2024-156(8)/रा0—बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदसंबंधी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- (1) यह नियमावली "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथा संशोधित) नियमावली, 2012 के नियम-09 के उप नियम-3 (ख) में उप नियम (iv) के बाद उप नियम-(V) अन्तः स्थापित किया जायेगा:-

"नियम-9(3)(ख)(V):- बदलै— दो रैयतों के मध्य परस्पर मौखिक सहमति के आधार पर किये गये किसी भू-खण्ड का बदलै, जो पूर्व से क्रियान्वित हो तथा वर्तमान में दोनों रैयतों का बदलै की भूमि/भू-खंड पर परस्पर शांतिपूर्ण दखल-कब्जा कायम हो तथा वर्तमान वैद्य दखलकारों द्वारा लिखित में सहमति दी गयी हो।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दीपक कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

Revenue and Land Reforms Department.

Notification

*The 25th April 2025***The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2025**

No.-03/Bhu.A Ni (6) Special Survey (Rule)-20/2024-156(8)/Ra.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (Bihar Act 24, 2011) (as amended from time to time), the State Government hereby makes the following Amendment Rules to amend the Bihar Special Survey and Settlement (as amended) Rules, 2012:-

1. Short title, extent and commencement.-

- (1) These rules may be called "The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2025."
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It Shall come into force from the date of Publication in the Official Gazette.

2. Sub-rule (V) shall be added after sub rule (iv) of sub rule 3 (b) of Rule 9 The Bihar Special Survey and Settlement (as Amended) Rules, 2012 :-

"Rule 9 (3) (b) (v) :- *Exchange*- Exchange of a piece of land done on the basis of mutual verbal consent between two land holders (Raiyats) which has been implemented earlier and at present, both the land holders have also mutual peaceful possession on the exchanged land and written consent has been given by the current valid occupants."

By order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 354-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>